न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/56/2014

उनवान

1. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी पारसमल बाबेल निवासी खेजडी तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती लाली देवी पत्नी मुन्नीराज वैष्णव निवासी जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर
2. श्रीमती बरजी पत्नी मोहन दास वैष्णव निवासी खेजडी तहसील हुरडा जिला भीलवाउा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 290/2008 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.12.2013

अधिवक्तागण :—

1. श्री गोपाल अजमेरा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री मोहम्मद निसार, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री प्रवीण सारस्वत,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2
4. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.9.2018

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादीया ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खेजडी तहसील हुरडा में संवत 2059 से 2062 की जमाबंदी में खाता संख्या 532 पर प्रतिवादी नम्बर 2 के पति श्री मोहन दास बैरागी के खाते में आराजी नम्बर 1490 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा स्थित थी। प्रतिवादी नम्बर 2 के पति श्री मोहनदास बैरागी ने वादिया की सेवा बन्धगी से खुश होकर दिनांक 18.12.2003 को वादिया के पक्ष में एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित करा दिया व उक्त रजिस्टर्ड वसीयत नामे से पूर्व प्रतिवादी के पति मोहनदास ने दिनांक 13.12. 2003 को एक वसीयतनामा लिखा जिसको नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराया जिसमें प्रतिवादी नम्बर 2 ने उक्त वसीयतनामा बाबत अपनी सहमति दी है। प्रतिवादी नम्बर 2 के पति मोहनदास के जीते जी उक्त आराजियात पर वादिया को सुपुर्द कर दी और उक्त आराजी पर वादिया व उसका पति अपनी फसल काश्त करते आ रहे हैं और दिनांक 2.1.2004 को प्रतिवादी नम्बर 2 के पति मोहनदास की मृत्यु हो जाने पर उक्त वसीयतनामा के आधार पर उक्त आराजी पर वादीया को कानूनन हक अधिकार हो गया तथा उक्त आराजी पर वादिया का कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग लगातार चला आ रहा है।

2. प्रतिवादी नम्बर 2 के पति मोहनदास की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादी नम्बर 2 ने उक्त आराजी का इन्तकाल नम्बर 1487 दिनांक 21.6.2004 को वादिया के हक में किये गये रजिस्टर्ड वसीयतनामे को छिपाते हुए अपने नाम पर इन्तकाल खुलवा लिया । जबकि वादिया रजिस्टर्ड वसीयतनो के आधार पर उक्त आराजी को अपने नाम पर खातेदारी हक सेदर्ज कराने की अधिकारिणी है । वादग्रस्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजियात प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से उसे विक्रय, हस्तान्तरित करने पर आमदा है इस बाबत वादिया ने प्रतिवादी संख्या 2 को मना किया तो वह लडाई झगडा करने पर आमादा हुई। अतः वादग्रस्त आराजियात का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी नम्बर दो के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वह वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करें।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीया का वाद पत्र स्वीकार कर मौजा खेजडी की आराजी नम्बर 1490 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा भूमि का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलाण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी। पटवारी हल्का द्वारा निर्णय की पालना कार्यवाही करवाये जाने पर अपीलार्थीया को जानकारी हुई। तब जाकर निर्णय की प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर अवलिम्ब अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जावे।

6. विचाराधीन अपील में दिनांक 2.5.2018 को अपीलार्थीया सुशीला देवी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1/वादिया लाली देवी ने राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीया संख्या 1/वादिया ने वाद

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पत्र प्रस्तुत किया था जो दिनांक 17.12.2013 को वादिया का वाद स्वीकार कर डिक्री पारित की गई। जिसकी अपील प्रतिवादी/अपीलार्थीया ने प्रस्तुत की है। अब चूंकि अपीलार्थीया व प्रत्यर्थीया संख्या 1/वादिया के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी तौर पर सहमति से राजीनामा हो गया है । वादग्रस्त आराजी जो अपीलाण्ट ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की उससे रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सहमत है एवं आराजी अपीलाण्ट के कब्जे अधिकार में चली आ रही है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादिया वादग्रस्त आराजियात के संबंध में वसीयतनामे के आधार पर कोई क्लेम नहीं करना चाहती है एवं वसीयतनामे के आधार पर पारित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाई जावे।

7. उक्त उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामे के सत्यापन के लिए दिनांक 4.7.2018 को अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी संख्या 1/वादिया की उनके संबंधित अधिवक्ता द्वारा पुनः पहचान की गई। उभयपक्ष की पहचान हेतु आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड की फोटो प्रति रेकार्ड पर ली गई। प्रत्यर्थीया संख्या 2 बरजी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण सारस्वत ने वसीयतनामा दिनांक 29.8.2018 को पेश किया एवं प्रत्यर्थीया संख्या 2 का पहचान पत्र भी प्रस्तुत किया । साथ ही राजनामे के अनुसार फैसला करने में कोई आपत्ति नहीं यह अंकन भी इनके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 26.9.2018 को न्यायालय में उपस्थित होकर अंकन किया ।

8. दिनांक 2.5.2018 को पक्षकारान के राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या1 ने वसीयतनामे के आधार पर ग्राम खेजडी तहसील हुरडा की हाल आराजी नम्बर 1490 के संबंध में खातेदारी घोषणा प्रस्तुत किया जो दिनांक 17.12.2003 को डिक्री हुआ । वादग्रस्त आराजियात के संबंध में अपीलाण्ट

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी तौर पर सहमति से राजीनामा हो गया है वादग्रस्त आराजी जो अपीलाण्ट ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की उससे रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सहमति है एवं आराजी अपीलाण्ट के कब्जे अधिकार में चली आ रही है रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वादग्रस्त आराजियात के संबंध में वसीयतनामे के आधार पर पर कोई क्लेम नहीं करना चाहती है एवं वसीयतनामे के आधार पर पारित अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को खारिज करवाना चाहते हैं। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष ने अपने हस्ताक्षर किये एवं उभयपक्ष के पहचान के रूप में आधार कार्ड की फोटो प्रति एवं ग्राम पंचायत खेजडी द्वारा श्रीमती बरजी पत्नि मोहन दास बैरागी की होना एवं वर्तमान में मुकाम जोधडास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा में निवास करने का अंकन कर प्रमाण पत्र जारी किया है जिसे रेकार्ड पर लिया गया । चूंकि उभयपक्ष लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर प्रकरण का निस्तारण करना चाहते है। इसलिए उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधर पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित समझते हैं।

9. अपीलाधीन मामले में वादग्रस्त आराजी क्रेता/अपीलार्थीया/सुशीला देवी पत्नि पारसमल बाबेल ने वादग्रस्त आराजी को क्रय करते समय पूर्ण स्टाम्प ड्यूटी जमा करा दी है। प्रत्यर्थी संख्या 1/वादिया ने भी वादग्रस्त आराजी को सुशीला देवी पत्नि पारसमल बाबेल के हक में ही रखे जाने में सहमति व्यक्त करते हुए अपील का निस्तारण करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है ।

10. चूंकि अपीलार्थीया यानि क्रेता एवं स्वयं प्रत्यर्थी संख्या 1/वादिया के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है । ऐसी स्थिति में पंजीकृत दस्तावेज के आधार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीया/क्रेता/सुशीला देवी पत्नि पारसमल बाबेल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

11. अतः उभयपक्ष के मध्य हुए लोक अदालत की भावना से हुए राजीनामे को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.12.2013 को निरस्त किया जाता है एवं मौजा खेजडी की आराजी नम्बर 1490 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा का अपीलार्थीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । पर्चा डिक्री मुर्तिब की जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 28.9.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी –श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए / 56 / 2014

उनवान

1. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी पारसमल बाबेल निवासी खेजडी तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती लाली देवी पत्नी मुन्नीराज वैष्णव निवासी जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर
2. श्रीमती बरजी पत्नी मोहन दास वैष्णव निवासी खेजडी तहसील हुरडा जिला भीलवाउा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 290 / 2008 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.12.2013

अधिवक्तागण :–

1. श्री गोपाल अजमेरा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री मोहम्मद निसार, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री प्रवीण सारस्वत,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2
4. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 56 / 2014** मे **उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैं:–

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

यह अपील तारीख 28.9.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री गोपाल अजमेरा वकील एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 श्री मोहम्मद निसार की उपस्थिति मेंएवं राजकीय अधिवक्ता की उपस्थिति मे दिनांक 28.9.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

उभयपक्ष के मध्य हुए लोक अदालत की भावना से हुए राजीनामे को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.12.2013 को निरस्त किया जाता है एवं मौजा खेजडी की आराजी नम्बर 1490 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा का अपीलार्थीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है ।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 28.9.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्क्री जारी की जाती है।

28/9/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस